राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/ e-GRAS/24463-670 दिनांक 27-12-2013

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– ई–ग्रास के तहत मैन्यूअल चालान के संबंध में।

संदर्भः– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र संख्या 24362 दिनांक 27.12.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.12.2013 के द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित जमाओं एवं ई–ग्रास के तहत मैन्यूअल चालानों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 27.12.2013 द्वारा इस संबंध में बिन्दु संख्या 1 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

"**<u>बिन्दु संख्या – 1</u>** के अन्तर्गत राजकीय मदों में जमा होने वाला राजस्व जो कि कैश, डी.डी. या बैकर्स चैक से जमा कराया जाता है, से संबंधित सभी राजकीय विभागों के 500 रू. से अधिक समस्त चालान दिनांक 01.01.2014 से अनिवार्य रूप से ई–ग्रास से ही जनरेट किये जायेगें एवं तद्नुसार ही बैंक द्वारा स्वीकार किये जायेगें। राजस्व जमाकर्ताओं हेतु 500 रू. से कम के चालान भी ई–ग्रास के माध्यम से जनरेट करने की सुविधा रहेगी।"

वित्त विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों एवं राजस्व जमाकर्ता अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करावे। यदि ई–ग्रास साईट पर चालान जमा कराने में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई होती है तो उसके निराकरण हेतु संबंधित कोषालयों एवं उपकोषालयों में सम्पर्क कर समस्या का निदान कराया जा सकता है एवं निम्नांकित नम्बरों पर भी सम्पर्क किया जा सकता है :–

1. संयुक्त निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा – 0141–2743752
2. ई–कोषाधिकारी, जयपुर 0141–2744294

भवदीय

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/ e-GRAS/24671-713 दिनांक 27-12-13
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजि सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. ई–कोषाधिकारी, जयपुर
3. कोषाधिकारी समस्त।

संयुक्त निदेशक (IFMS)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752